



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1291/अका./का.प./2022

रायपुर, दिनांक 09/03/2022

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चौसठवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 25.03.2022 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 एवं 21.01.2022 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र 1 से 6 तक)  
टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 एवं 21.01.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. उमा गोले, प्रोफेसर, भूगोल अध्ययनशाला के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान हेतु राशि रुपए 12,00,000.00 (रुपए बारह लाख मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
टीप : डॉ. उमा गोले, प्रोफेसर, भूगोल अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान अपने पुत्री के विवाह हेतु राशि रुपए 12,00,000.00 (रुपए बारह लाख मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।
4. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल, प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 26,72,159.00 (रुपए छब्बीस लाख बहत्तर हजार एक सौ उनसठ मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।  
टीप : डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल, प्राध्यापक, इतिहास अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 26,72,159.00 (रुपए छब्बीस लाख बहत्तर हजार एक सौ उनसठ मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
5. श्री तीर्थ राम यादव, वरिष्ठ अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,21,281.00 (रुपए सात लाख इक्कीस हजार दो सौ इक्यासी मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।  
टीप : श्री तीर्थ राम यादव, वरिष्ठ अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,21,281.00 (रुपए सात लाख इक्कीस हजार दो सौ इक्यासी मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
6. स्व. श्री प्रकाश क्षत्री, द्वितीय श्रेणी लिपिक, छात्र कल्याण विभाग का आकस्मिक निधन पश्चात् सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 11,02,355.00 (रुपए ग्यारह लाख दो हजार तीन सौ पचपन मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।  
टीप : स्व. श्री प्रकाश क्षत्री, द्वितीय श्रेणी लिपिक, छात्र कल्याण विभाग का आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 11,02,355.00 (रुपए ग्यारह लाख दो हजार तीन सौ पचपन मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

7. सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति हेतु राशि A GENERAL ADMINISTRATION 20. Additional Provision for Land Acquisition रूपए 200.00 लाख, मद से राशि रूपए 7,00,000.00 (रूपए सात लाख मात्र) स्थानांतरित कर पुनर्विनियोजित करने पर विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल शोध छात्रवृत्ति हेतु राशि 45,00,000.00 (रूपए पैंतालिस लाख मात्र) लाख वित्तीय सत्र 2021-22 में बजट प्रावधानित है। प्रावधानित राशि 45,00,000.00 (रूपए पैंतालिस लाख मात्र) पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त राशि 7.00 लाख की व्यवस्था A GENERAL ADMINISTRATION 20. Additional Provision for Land Acquisition 200.00 L से स्थानांतरित कर पुनर्विनियोजित करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

8. रूसा मद से लगभग रूपए 26,52,769.00 (रूपए छब्बीस लाख बावन हजार सात सौ उनहत्तर मात्र) के उपकरण क्रय के भुगतान को विश्वविद्यालय मद से मेचिंग शेयर के रूप में भुगतान करने के लिए स्वीकृत बजट में अतिरिक्त प्रावधान मान्य करने के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय को रूसा से प्राप्त अनुदान राशि रु. 3,75,00,000.00 (रूपए तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) के विरुद्ध राशि रूपए 3,49,06,389.00 (रूपए तीन करोड़ उनचास लाख छः हजार तीन सौ नवासी मात्र) का व्यय दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। राशि रूपए 47,49,902.00 का भुगतान शेष है।

रूसा कार्यालय से विश्वविद्यालय की Draw Limit तय करने पश्चात् उक्त राशि रूपए 20,97,133.00 (रूपए बीस लाख संत्यानबे हजार एक सौ तैंतीस मात्र) के भुगतान करने की अनुमति होगी, निर्देश दिया गया है।

अतिरिक्त राशि लगभग रूपए 26,52,769.00 के उपकरण क्रय के भुगतान को विश्वविद्यालय मद से मेचिंग शेयर के रूप में भुगतान करने माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृत बजट में अतिरिक्त प्रावधान मान्य करने विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

#### संपादक विश्वविद्यालय पत्रिका से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित होने वाले शोध आलेखों के समीक्षक (Reviewers) को मानदेय प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से जर्नल ऑफ रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पार्ट A एवं पार्ट B) प्रकाशित होता है। शोध आलेखों के समीक्षा के उपरांत ही शोध आलेखों का जर्नल में प्रकाशन होता है। यद्यपि शोध आलेखों का समीक्षा अभी तक ऐच्छिक एवं बिना मानदेय के होता रहा है और इस बाबत् समीक्षकों को कोई भी मानदेय प्राप्त नहीं होता। चूंकि समीक्षक अपनी व्यवस्तता के बावजूद जर्नल के शोध आलेखों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु अहम सुझाव देकर जर्नल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतएव उनके योगदान के तारतम्य में जर्नल ऑफ रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पार्ट A एवं पार्ट B) के प्रत्येक समीक्षक को प्रत्येक पेपर का रूपए 2000/- (रूपए दो हजार मात्र) का मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वर्ष 2020-21 की विभिन्न सेमेस्टर एवं पूरक परीक्षाओं (मई-जून 2021) के गोपनीय मुद्रण कार्य के भुगतान की राशि रु. 8,18,185.00 (रुपए आठ लाख अठारह हजार एक सौ पच्चासी मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

टीप : वर्ष 2020-21 की विभिन्न सेमेस्टर एवं पूरक परीक्षाओं (मई-जून 2021) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म जिसको कार्यपरिषद् की 58वीं बैठक दिनांक 18.06.2021 (विषय सूची क्रमांक-09) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया। संबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन किया गया।

अनुबंधित फर्म द्वारा उक्त कार्य संपादन उपरांत राशि रु. 8,18,185.00 (रुपए आठ लाख अठारह हजार एक सौ पच्चासी मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया था। जिसे गोपनीय विभाग द्वारा सत्यापित किया गया।

संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 8,18,185.00 (रुपए आठ लाख अठारह हजार एक सौ पच्चासी मात्र) का भुगतान, माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में सक्षम अनुमोदन पश्चात् किया गया। अतः संबंधित फर्म को किए गए देयक भुगतान राशि रु. 8,18,185.00 (रुपए आठ लाख अठारह हजार एक सौ पच्चासी मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु, माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

### कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों के लिए 400 नग एंटीवायरस क्रय हेतु रुपए 7,59,731=00 (रुपए सात लाख उनसठ हजार सात सौ इकतीस मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं अध्ययनशालाओं में उपलब्ध कंप्यूटरों के लिए 400 नग एंटीवायरस क्रय हेतु CSIDC Rate Contract में अनुबंधित फर्म M/s Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, mathpurena, Raipur (C.G.) के नाम से पत्र क्रमांक 86/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 10.02.2022 के द्वारा आदेश जारी किया गया है। 400 नग एंटीवायरस क्रय करने पर रुपए 7,59,731=00 (रुपए सात लाख उनसठ हजार सात सौ इकतीस मात्र) व्यय होगा। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

12. विश्वविद्यालय परिसर में वाई-फाई की स्थापना किए जाने हेतु अनुमानित व्यय रुपए 43,86,000=00 (रुपए तिरालिस लाख छियासी हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में वाई-फाई सुविधा बढ़ाने के क्रम में विश्वविद्यालय कैंपस वाई-फाई की स्थापना की जानी है, ताकि शिक्षक, छात्र/छात्राएं उक्त सुविधा का लाभ उठा सकें। उक्त हेतु अनुमानित व्यय रुपए 43,86,000=00 (रुपए तिरालिस लाख छियासी हजार मात्र) होगा। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

13. विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं/विभागों के लिए Office Pro Plus 2021 SNGL OLP NL Acdmc OR Higher लायसेंस कॉपी क्रय करने हेतु अनुमानित व्यय रूप 20,06,000=00 (रुप बीस लाख छः हजार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं/विभागों में कंप्यूटर के माध्यम से टायपिंग कार्य संपादित करने हेतु एम.एस. ऑफिस का उपयोग किया जाता है। जिन अध्ययनशालाओं/विभागों में एम.एस. ऑफिस की लायसेंस कापी नहीं है, उन्हें लायसेंस कॉपी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, उक्त लायसेंस हेतु अनुमानित लागत रूप 20,06,000=00 (रुप बीस लाख छः हजार मात्र) व्यय होगा। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-**

14. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 दिनांक 14.02.2022 के परिपालन में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय भुगतान की अधिकतम सीमा को रु. 20800/- प्रतिमाह से रु. 31200/- प्रतिमाह किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 दिनांक 14.02.2022 द्वारा अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय की राशि रूप 200/- (रुप दो सौ मात्र) प्रति व्याख्यान से रूप 300/- (रुप तीन सौ मात्र) प्रति व्याख्यान, 4 कालखण्ड/प्रतिदिन के लिए एवं अधिकतम राशि रूप 31200/- (रुप इकतीस हजार दो सौ मात्र) प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.10.2012 में लिए गए निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याताओं को रूप 300/- (रुप तीन सौ मात्र) प्रति व्याख्यान प्रतिमाह अधिकतम रु. 20800/- (रुप बीस हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान किया जा रहा है।

संबंधित अतिथि व्याख्याताओं को बढ़े हुए मानदेय अनुसार भुगतान करने पर निम्नानुसार व्ययभार में वृद्धि होगा :-

क्र.	मानदेय	अ.शालाओं को स्वीकृत अतिथि व्याख्याताओं की कुल संख्या	मानदेय राशि	मासिक व्ययभार	वार्षिक व्ययभार
1.	पुराना	131	20800 X 131	रु. 27,24,800.00	3,26,97,600.00
2.	नवीन	131	31200 X 131	रु. 40,87,200.00	4,90,46,400.00
			<b>व्यय भार में होने वाला वृद्धि</b>	रु. 13,62,400.00	1,63,48,800.00

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 दिनांक 14.02.2022 के परिपालन में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय भुगतान की अधिकतम सीमा को रु. 20800/- (रुप बीस हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह से रु. 31200/- (रुप इकतीस हजार दो सौ मात्र) प्रतिमाह किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

15. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी, 2022 के अनुपालन में माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भाँति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2012/1/5 दिनांक 02 फरवरी, 2022 के द्वारा राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भाँति सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10:00 बजे से सायं 5.30 तक निर्धारित किया गया है। साथ ही कार्यालयीन अवधि में भोजन अवकाश पूर्व की भाँति निर्धारित किया गया है। अतः शासन के आदेश को अंगीकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

#### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासममुंद में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

#### इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के लिए निर्माता कंपनी से क्रय हेतु प्रस्तावित उपकरण (Quantum Efficiency and IV measurement system) के लिए 5 प्रतिशत जी.एस.टी. के स्थान पर 18 प्रतिशत जीएसटी हेतु प्रस्तावित राशि रुपए 16,19,904/- (रुपए सोलह लाख उन्नीस हजार नौ सौ चार मात्र) के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.08.2021 के विषय सूची क्रमांक 16 के अनुक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला द्वारा आदेश क्रमांक 44/इले. एंड फोटो. /रायपुर/2021 दिनांक 10.12.2021 को निर्माता कंपनी को DSIR के नवीनीकरण की प्रत्याशा में कार्यपरिषद् तथा केंद्रीय क्रय समिति के अनुमोदन के पश्चात् 5 प्रतिशत जी. एस.टी. के साथ उपकरण का क्रय आदेश दिया गया था।

नियमानुसार उपरोक्त उपकरण पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. देय होगा। इस कारण उपकरण की कर सहित कुल लागत राशि रुपए 16,19,904/- (रुपए सोलह लाख उन्नीस हजार नौ सौ चार मात्र) होगा। जी.एस.टी. की राशि शासन को देय होती है। अतः प्रस्ताव माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


#### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित आय-व्यय के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप : वित्तीय वर्ष 2020-21 वास्तविक आय-व्यय, वर्ष 2021-22 पुनरीक्षित आय-व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित आय-व्यय, माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


आय-व्यय पत्रक पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

19. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार  
  
9.3.22  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
उप कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 95A / अका./ का.प./ 2022

रायपुर, दिनांक 12/01/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बासठवीं बैठक मंगलवार, दिनांक 11.01.2022 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

## प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश	- सदस्य	7. डॉ. के.एन. शर्मा	- सदस्य
2. डॉ. सी.डी. अगाशे	- सदस्य	8. डॉ. ममता शर्मा	- सदस्य
3. डॉ. एस.के. प्रसाद	- सदस्य	9. डॉ. समीर ठाकुर	- सदस्य
4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	- सदस्य	10. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	- सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	- सदस्य	11. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	- सदस्य
6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा	- सदस्य	12. डॉ. एम.एल. नायक	- सदस्य

## डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वित्तीय सत्र 2021-22 के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रुपए 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) राशि स्थानांतरण के कार्यांतर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: सत्र 2021-22 के बजट में A General Administration के सरल क्रमांक 20 में Additional Provision For Land Acquisition में प्रावधानित राशि रुपए 200.00 लाख (दो सौ लाख मात्र) से चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपए 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) राशि स्थानांतरण की कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की गई।

## विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय आदेश क्र. 416/विकास/सु.व्यव./2020 रायपुर, दिनांक 31.12.2020 के तहत सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur का कार्यकाल दिनांक 31/12/2021 को समाप्त होने एवं फर्म का कार्य संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों के अधीन दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक 01 वर्ष के लिए कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

5. वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख-रखाव के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: विश्वविद्यालय वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख-रखाव हेतु फर्म का कार्यकाल दिनांक 12/09/2021 को समाप्त होने के कारण दिनांक 13.09.2021 से 06 माह के लिए पूर्व स्वीकृत दर के साथ M/s Key Computer, 420A, Khare Town, Dharampeth, Nagpur-10 के नाम से जारी कार्य आदेश क्र. 615/विकास/2021 रायपुर, दिनांक 24.12.2021 का अनुमोदन किया गया।
6. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।  
निर्णय: विश्वविद्यालय आदेश क्र. 418/विकास/सफाई कार्य/2020 रायपुर, दिनांक 31.12.2020 के तहत परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे फर्म New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp.Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur का कार्यकाल दिनांक 31/12/2021 को समाप्त होने एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य हेतु अनुबंध की शर्तों के अधीन दिनांक 01/01/2022 से 31/12/2022 तक 01 वर्ष के लिए कार्यकाल में वृद्धि किए जाने का अनुमोदन किया गया।

#### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. शासकीय जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को भूगोल विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 24.12.2021 की अनुशंसानुसार अस्थाई मान्यता प्रदान करने (संशोधित विनियम 107 की कंडिका 08 के प्रावधान) के अनुमोदन पर विचार करना।  
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

#### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. वर्ष 2022 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: गोपनीय मुद्रण वर्ष 2022 की परीक्षाओं हेतु न्यूनतम दर वाली संस्थान B को प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य के लिए अनुबंध किए जाने का अनुमोदन किया गया।

#### सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय के वर्ष 2015 में विज्ञापित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों, जिस पर चयन की प्रक्रिया नहीं हो सकी थी, उन पदों के लिए पुनः विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: पूर्व में जारी विज्ञापन का लंबा अंतराल हो जाने एवं आरक्षण संबंधी नियमों में शासन से स्पष्टता के अभाव में तथा यू.जी.सी द्वारा चयन के लिए नए मापदंडों को लागू करने, आदि कारणों से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन क्रमांक 1790/स्था./सा.प्रशा./2015, दिनांक 30.05.2015 एवं विज्ञापन क्रमांक 2853/स्था./सा.प्रशा./2015, दिनांक 10.08.2015 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विज्ञापन के उपरांत विश्वविद्यालय में रिक्त हुए पदों को सम्मिलित कर संपूर्ण पदों पर भर्ती हेतु शासन से अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन जारी किया जाए।



## पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.01.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

### कंप्यूटर सेंटर गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय Website (prsu.ac.in) को क्लाउड बेस्ड सर्वर में स्थापित करने के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय रु. 8,00,000=00 (रुपए आठ लाख मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. बीरेंद्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, जामगांव, जिला-गरियाबंद में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय: प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. रचना पाण्डेय के नाम का अनुमोदन किया गया।

### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. फर्नीचर क्रय हेतु मद परिवर्तन के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं हेतु फर्नीचर क्रय किए जाने पर अनुमानित रु. 54=00 लाख (रुपए चौब्वन लाख मात्र) व्यय का प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बजट सत्र 2021-22 के B-Engineering Unit 06) Construction Work i. Girls Hostel के लिए प्रावधानित राशि रु. 200=00 लाख से मद परिवर्तन कर A.General Administration 6 (i) Furniture & fixture मद में रु. 54=00 लाख (रुपए चौब्वन लाख मात्र) स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

5. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, राँची के द्वारा वार्षिक परीक्षा पश्चात् कार्य सत्र 2020-21 का देयक राशि रुपए 2,26,47,805.00 (रुपए दो करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) के भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, कांके रोड, राँची को कार्य की पूर्णता एवं संतोषजनक पाए जाने पर राशि रुपए 2,26,47,805.00 (रुपए दो करोड़ छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. श्री मोहन लाल दुबे, लैब अटेंडेंट, भूगोल अध्ययनशाला, सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,68,595.00 (रुपए सात लाख अड़सठ हजार पाँच सौ पंच्यानबे मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्री राजेंद्र प्रसाद औसर, कनिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रु. 6,00,000.00 (रुपए छः लाख मात्र) के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।  
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

#### सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

8. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. 79/एल 2017-04-00364/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28.02.2018 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 12-1/2007/1-3, दिनांक 05.03.2008 के आदेशानुसार आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में नियमित हुए शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन की पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावित प्रकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. श्री सुरेश यादव, फोटोग्राफर, संविदा कर्मचारी (पेंशन माइनस वेतन आधार पर) एक वर्ष (27.02.2022 से 26.02.2023 तक) के लिए पुनः नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

#### पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् से एक सदस्य की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. भजन सिंह छाबड़ा, कार्यपरिषद् सदस्य एवं प्राचार्य, शास. काव्योपाध्याय महा. अभनपुर का मनोनयन किया गया।

11. विश्वविद्यालय ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 28.12.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

#### विश्वविद्यालय संपदा शाखा से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. वर्ष 2006-07 में 29 हेक्टेयर अर्जित भू-अधिग्रहण में भू-स्वामियों के द्वारा अतिरिक्त मुआवजा राशि माँग किए जाने के संबंध में विचार करना।


निर्णय: माननीय न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रायपुर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.11.2021, 02.12.2021 एवं 20.12.2021 के परिपालन में वर्ष 2006-07 में विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित भूमि में से न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत 2.275 हेक्टेयर (5.1619 एकड़) भूमि को समर्पित करने हेतु एवं पूर्व में दी गई राशि को छत्तीसगढ़ शासन को जमा करने हेतु मंतव्य से माननीय न्यायालय को अवगत कराए जाने हेतु निर्णय किया। साथ ही यह भी सूचित किया जाना समीचीन होगा कि उपरोक्त प्रकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख वाद प्रस्तुत किया गया।


## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

01. Review Petition No 156 of 2021 के माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा खारिज किए जाने फलस्वरूप डॉ. मनीष कुमार राय, एसोसिएट प्रोफेसर के पदोन्नति मामले में याचिका क्रमांक 4877/2021 में हुए आदेश के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: पदोन्नति समिति के द्वारा अनुशंसित निर्णय का अनुमोदन किया गया, जो उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा।
02. विश्वविद्यालय के संपूर्ण कार्य को एक व्यवस्थित पद्धति अपनाने के लिए एकीकृत ई-गवर्नेंस की स्थापना के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: अनुमोदन किया गया।
03. विश्वविद्यालय परिसर के समुचित विकास एवं दीर्घकालीन योजनाओं यथा नए शैक्षणिक विभागों की स्थापना, नई आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.03.2021 के निर्णयानुसार प्राप्त दर पर कार्यादेश प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: मास्टर प्लान तैयार करने हेतु न्यूनतम दर होने के कारण छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, जिला-दुर्ग को कार्यादेश प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 955 / अका./ का.प./ 2022

रायपुर, दिनांक 12 / 01 / 2022

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1010 / अका./ का.प./ 2022

रायपुर, दिनांक 21 / 01/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की तिरसठवीं (आपातिक) बैठक शुक्रवार, दिनांक 21.01.2022 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

## प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

- |                                    |         |                            |         |
|------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश  | - सदस्य | 6. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा     | - सदस्य |
| 2. डॉ. सी.डी. अगाशे                | - सदस्य | 7. डॉ. ममता शर्मा          | - सदस्य |
| 3. डॉ. एस.के. प्रसाद               | - सदस्य | 8. डॉ. समीर ठाकुर          | - सदस्य |
| 4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ              | - सदस्य | 9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | - सदस्य |
| 5. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल | - सदस्य | 10. डॉ. एम.एल. नायक        | - सदस्य |


## डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

01. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-04/2022/38-1, दिनांक 13.01.2022 के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2021-जनवरी 2022 के आयोजन, मूल्यांकन एवं परिणाम पद्धति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-04/2022/38-1, दिनांक 13.01.2022 के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2021-जनवरी 2022 के आयोजन, मूल्यांकन एवं परिणाम पद्धति के लिए विनियम क्रमांक-182 C एवं विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.01.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 1011 / अका./ का.प./ 2022

रायपुर, दिनांक 21 / 01/2022

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

## विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चौसठवीं बैठक शुक्रवार दिनांक 25.03.2022 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

1. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 32,79,201.00 (रुपए बत्तीस लाख उन्यासी हजार दो सौ एक मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
टीप : श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के दिनांक 30.11.2021 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 32,79,201.00 (रुपए बत्तीस लाख उन्यासी हजार दो सौ एक मात्र) के भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।
2. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 20,42,352.00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार तीन सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
टीप : 1. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल, प्राध्यापक पद से दिनांक 28.02.2022 को सेवानिवृत्त हुई हैं।  
2. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 902/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 28.02.2022 से डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को कुल 240 दिन के अवकाश नगदीकरण की पात्रता स्वीकृत की गई है।  
3. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर कुल 240 दिन के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 20,42,352.00 (रुपए बीस लाख बयालीस हजार तीन सौ बावन मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।  
4. वेतन के रूप में अधिक भुगतान की राशि रुपए 55,599.00 (रुपए पचपन हजार पाँच सौ निन्यानबे मात्र) की वसूली डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेंद्र पाल के वेतन माह फरवरी देय मार्च 2022 से कर ली गई है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 8,74,005.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार पाँच मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
टीप : 1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, प्राध्यापक पद से दिनांक 28.02.2021 को सेवानिवृत्त हुई हैं।  
2. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 991/स्था./सा.प्रशा./2021 रायपुर, दिनांक 06.03.2021 से डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को कुल 109 दिन के अवकाश नगदीकरण की पात्रता स्वीकृत की गई है।  
3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त प्राध्यापक के द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर कुल 109 दिन के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 8,74,005.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार पाँच मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।  
4. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती से वेतन संबंधी किसी प्रकार का लेन-देन शेष नहीं है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. विश्वविद्यालय दैनिक वेतन भोगी के भविष्य निधि जमा पर दंड एवं ब्याज भुगतान की राशि रु. 21,89,777.00 (रुपए ईक्कीस लाख नवासी हजार सात सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

- टीप : i. विश्वविद्यालय में दैनिक श्रमिकों से भविष्य निधि की कटौती कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14बी एवं धारा 7 क्यू के अंतर्गत की जाती है एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा किया जाता है।
- ii. अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2016 तक का अंशदान जमा न हो पाने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विश्वविद्यालय पर (नुकसान) कर्मी की पूर्ति हेतु रु. 34,88,965.00 एवं इस पद देय ब्याज राशि रु. 20,49,491.00 का दावा प्रेषित किया।
- iii. विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण पर दिनांक 25.01.2022 को सुनवाई में उपस्थित होकर विश्वविद्यालय का पक्ष रखने सी.ए. दिव्या जैन को अधिकृत किया गया था।
- iv. विश्वविद्यालय का पक्ष सुनने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संठन ने Demages राशि रु. 34,88,965.00 के स्थान पर रु. 1,40,286.00 (रुपए एक लाख चालीस हजार दो सौ छियासी मात्र) मान्य किया गया एवं ब्याज की राशि रु. 20,49,491.00 (रुपए बीस लाख उंचास हजार चार सौ इंक्यानबे मात्र) 15 दिवस के भीतर जमा करने का निर्देश किया गया।
- v. सक्षम स्वीकृति पश्चात् Demages एवं ब्याज की कुल राशि रु. 21,89,777.00 (रुपए ईक्कीस लाख नवासी हजार सात सौ सत्तर मात्र) के भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

**अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-**

5. साईं सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री, अमनपुर, जिला-रायपुर में शासी निकाय के दो सदस्य मनोनयन के संबंध में विचार करना।

**टीप:** विश्वविद्यालय परिनियम 28 Part-III Governing Body की कंडिका -

6(1)(c) Two representatives of the University other than members of the Foundation Society of the College, nominated by the Executive Council at least one of whom shall be from amongst the teachers of the University as far as possible working in institutions not located in the same town as the College.

उपरोक्त के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा साईं सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री अमनपुर जिला-रायपुर (अशासकीय महाविद्यालय) में शासी निकाय गठन हेतु निम्नलिखित दो सदस्य मनोनीत किए गए हैं :-

1. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अतः उक्त दो सदस्यों का मनोनयन हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय देयक रु. 14,62,020=00 (रुपए चौदह लाख बासठ हजार बीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए 413 नग स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय हेतु Incharge (Production), Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Showroom Cum Office : Naveen Bazar, Phool Chowk, Raipur (C.G.) के नाम क्रय आदेश पत्र क्र. 447/विकास/2021 दिनांक 27.09.2021 के द्वारा जारी किया गया था। Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd., Furniture Works, Abhanpur, Raipur (C.G.) द्वारा 413 नग स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर आपूर्ति के पश्चात् देयक क्र. 5634 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा रु. 14,62,020=00 (रुपए चौदह लाख बासठ हजार बीस मात्र) के भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः फर्निचर सामग्री क्रय करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति एवं संबंधित संस्था को भुगतान करने के लिए रु. 14,62,020=00 (रुपए चौदह लाख बासठ हजार बीस मात्र) के भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

7. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग एवं अध्ययनशाला हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय करने के लिए संबंधित फर्मों को रु. 22,46,789.00 (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार सात सौ नवासी मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग/अध्ययनशाला/परीक्षा एवं गोपनीय विभाग के उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 47/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 19.01.2022 के द्वारा निविदा छ.ग. संवाद के माध्यम से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित 06 फर्मों के द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था, फर्मों का नाम निम्नानुसार है :-

- I. Swapnil Products, Fatesha Market, Tikrapara, Raipur
- II. मारुति ट्रेडर्स, जी.टी. प्लाजा के सामने, किड्स नर्सरी स्कूल के पास लोधीपारा-कापा, रायपुर
- III. Daksh Stationers, Near Pani Tanki, Jhanda Chowk, Bajrang Nagar, Raipur (C.G.)
- IV. Vinayak Enterprises, BL Plaza Malviya Road, Raipur (C.G.)
- V. Asheesh Enterprises, Rly Crossing, Shankar Nagar, Raipur
- VI. Swastik Printery, Near Pawar Bhawan, New Changorabhata, Raipur (C.G.)

उपरोक्त फर्मों को न्यूनतम दर के आधार पर स्टेशनरी सामग्री क्रय करने हेतु आदेश जारी किया जाना है। संबंधित फर्मों को स्टेशनरी सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात् भुगतान किए जाने वाले राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	फर्म का नाम	राशि (अंको में)
1.	Swapnil Products, Raipur	रु. 78,750.00
2.	मारुति ट्रेडर्स, रायपुर	रु. 39,600.00
3.	Daksh Stationers, Raipur	रु. 3,91,725.00
4.	Vinayak Enterprises, Raipur	रु. 15,77,190.00
5.	Asheesh Enterprises, Raipur	रु. 77,024.00
6.	Swastik Printery, Raipur	रु. 82,500.00

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष उपरोक्त फर्मों से रु. 22,46,789.00 (रुपए बाईस लाख छियालीस हजार सात सौ नवासी मात्र) की स्टेशनरी खरीदने की प्रशासनिक एवं भुगतान की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. विश्वविद्यालय परिसर में 100 नग Street Light Pole एवं उसमें LED Street light fitting हेतु कुल अनुबंध राशि रु. 24,21,615.00 (रुपए चौबीस इक्कीस हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।

टीप : माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति अनुसार विश्वविद्यालय में 100 नग Street Light Pole एवं उसमें LED Street light fitting हेतु निविदा आमंत्रित की गई। डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. से अनुमोदित न्यूनतम निविदा दर 30% Below SOR वाली फर्म मेसर्स D.M. Jha, Raipur को कार्य आदेश देकर कार्य कराया गया। कार्य गुणवत्ता पूर्वक एवं निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया गया। तदनुसार माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में फर्म को किए गए कार्य अनुसार कुल अनुबंध राशि रु. 24,50,000.00 (रुपए चौबीस लाख पचास हजार मात्र) में से फर्म को राशि रु. 23,73,183.00 (रुपए तेईस लाख तिहत्तर हजार एक सौ तिरासी मात्र) तथा आयकर राशि रु. 48,432.00 (रुपए अड़तालिस हजार चार सौ बत्तीस मात्र) कुल भुगतान राशि रु. 24,21,615.00 (रुपए चौबीस इक्कीस हजार छः सौ पंद्रह मात्र) के भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

9. विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 01.02.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

- टीप (i) विश्वविद्यालय के खराब हुई सड़कों के सुधार एवं डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु 50.00 लाख का अनुमोदन एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।
- (ii) एकीकृत परीक्षा हाल भवन निर्माण हेतु आर्कटेक्ट फर्म भारती एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं भूतल निर्माण प्राक्कलन राशि रु. 2.84 करोड़ का अनुमोदन किया गया एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।
- (iii) विश्वविद्यालय द्वारा सिविल, विद्युतीय, जल प्रदाय एवं सेनेटरी कार्यों हेतु आमंत्रित निविदा 25-25 लाख को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई।
- (iv) विश्वविद्यालय प्रस्तावित गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्कटेक्ट फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसियट्स रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11000/- का अनुमोदन किया गया एवं कार्य लोक निर्माण विभाग से कराए जाने की अनुशंसा की गई।


माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2021-22 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।

टीप : छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा 6 (Committee to be appointed by the Executive Council every year) के अनुसार अनुचित साधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है :-

- (1) कार्यपरिषद् से एक सदस्य
  - (2) संकायाध्यक्ष से एक सदस्य
  - (3) विद्यापरिषद् से एक सदस्य
  - (4) विद्यार्थी परिषद् से एक सदस्य
11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।



कुलसचिव